



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 6101/2019

Union Of India, Through The General Manager, Western Railway,
Mumbai

----Appellant

Versus

1. Bhanwar Lal S/o Pusharam, Aged About 54 Years,
Resident Of Village And Post Sutod, Tehsil Laxmangarh
District Sikar Rajasthan
2. Bhanwari Devi W/o Bhanwar Lal, Aged About 52 Years,
Resident Of Village And Post Sutod, Tehsil Laxmangarh
District Sikar Rajasthan

----Respondents

For Appellant(s) : Mr. Intjar ali, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Sandeep Garssa, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS
Judgment / Order

16/03/2026

अपीलार्थी—भारत संघ द्वारा यह सिविल विविध अपील रेलवे दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (जिसे आगे "अधिनियम, 1987" कहा जाएगा) की धारा 23 के तहत विद्वान रेलवे दावा अधिकरण, जयपुर पीठ द्वारा प्रकरण संख्या—OA II (U)/JP/2017/0208 में पारित निर्णय व अवार्ड दिनांकित **07.06.2019** से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके माध्यम से दावेदारों को उनके पुत्र महिपाल की अनपेक्षित रेल दुर्घटना में मृत्यु होने पर कुल 8,00,000/—रुपये का प्रतिकर 09 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी—भारत संघ का निवेदन है कि क्लेम याचिका में यह अभिकथित किया गया है कि मृतक सान्ताकूज जाने के लिए वापी पैसेंजर ट्रेन संख्या 59045 जो गोरेगांव से जोगेश्वरी जाती है, में रेल पास पर यात्रा करना बताया गया है जबकि वास्तव में यह ट्रेन सान्ताकूज से आ रही थी, जाने के लिए नहीं थी, अतः ऐसी स्थिति में स्वयं दावेदारों के अभिकथनों के आधार पर ही संपूर्ण कहानी खंडित हो जाती है और ऐसी



स्थिति में क्लेम याचिका खारिज होने योग्य है, लेकिन विद्वान विचारण अधिकरण द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर विचार किये बिना अपीलाधीन निर्णय व अवार्ड पारित किया गया है, जो अपास्त होने योग्य है।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी—दावेदारों का निवेदन है कि डी. आर.एम. की रिपोर्ट व पुलिस कार्यवाही के अनुसार ट्रेन संख्या 59045 से दुर्घटना होना प्रमाणित है, विद्वान विचारण अधिकरण का निष्कर्ष तथ्यों व विधि के अनुरूप है और अंत में उसकी पुष्टि करते हुए अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि दावेदारान घटना के समय मृतक के साथ मौके पर उपस्थित नहीं थे, प्राप्त सूचना के अनुसार मृतक का ट्रेन संख्या 59045 में रेलवे पास पर यात्रा करना बताया गया है। यह ट्रेन सान्ताकूज से आ रही थी अथवा जा रही थी, यह तथ्य अथवा इस संबंध में विरोधाभास असंगत हो जाता है। मृतक का शव रेलवे ट्रैक पर घटना की दिनांक को पाया गया है तथा डी.आर.एम. की रिपोर्ट के अनुसार भी यह दुर्घटना मृतक की लापरवाही से पायदान पर खड़े होकर यात्रा करने के दौरान गिरने से होना बताया गया है, अतः ऐसी स्थिति में उपलब्ध सामग्री व साक्ष्य के अनुसार मृतक द्वारा विधिवत रेलवे पास पर यात्रा करना पाया गया है और अनपेक्षित दुर्घटना घटित हुई है।

उपरोक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश पूर्णतः तथ्यों व विधि के अनुरूप है, अतः उसकी पुष्टि होने तथा यह अपील खारिज होने योग्य है।

परिणामतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक **07.06.2019** की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी—भारत संघ की ओर से प्रस्तुत यह सिविल विविध अपील खारिज की जाती है।

स्थगन आवेदन व अन्य आवेदन, यदि कोई लंबित है, तो वे भी उपरोक्तानुसार खारिज किये जाते हैं।

(UMA SHANKER VYAS),J